झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

अधि० संख्या 2/व०भ०नी०-05/2007 (खण्ड-3) 2219 व०प०, रां०वी० दिनांक- 26/05/17

झारखण्ड राज्य में नीचे कहे [illegible] [illegible] [illegible] की लकड़ी, [illegible], सखुए [illegible], [illegible] [illegible] और [illegible] [illegible] और [illegible] [illegible] एवं अन्य वन उत्पाद [illegible] [illegible] सरकार [illegible] पर अधिसूचित [illegible] [illegible] सड़क, रेल एवं जल मार्गों से अभिवहन तथा उससे आनुषंगिक अन्य विषयों का विनियमन करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-व०भ०नी०-11/2000-2002/[illegible], दिनांक-21.06.2004 द्वारा झारखण्ड काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004 अधिसूचित है।

2. उक्त नियमावली के नियम-8 में रैयती भूमि पर उगे वृक्षों से प्राप्त काष्ठ हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है तथा नियम-5 के अंतर्गत राज्य की सीमा के भीतर अथवा बाहर काष्ठ या अन्य वन उत्पाद के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र अनिवार्य है।

3. राज्य में मुख्यमंत्री जन-वन योजनान्तर्गत ग्रामीणों को उनकी निजी भूमि पर [illegible] प्रजाति तथा फलदार पौधे लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। [illegible] [illegible] [illegible] का स्वामित्व भी रैयतों के अधीन है।

4. मुख्यमंत्री जन-वन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनुकूल वातावरण का सृजन तथा राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की नींव को मजबूती प्रदान करने के साथ अन्य राज्यों की भांति झारखण्ड राज्य में भी कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के निमित्त परिवहन अनुज्ञा-पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किये जाने की आवश्यकता है, ताकि रैयतों को प्रोत्साहित करने के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी होगी।

5. अतएव उपर्युक्त के आलोक में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कुल-19 (उन्नीस) काष्ठ प्रजातियों को झारखण्ड काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2004 के नियम-5 एवं 8 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत परिवहन अनुज्ञा-पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	काष्ठ/वृक्ष का नाम	प्रजाति का नाम
1	यूकलिप्टस (सफेदा)	यूकलिप्टस की सभी प्रजातियां
2	पोपलर	पापुलस प्रजातियां
3	कैजुरिना	कैजुरिना इक्विसिटीफोलिया
4	अरडूसा (महारुख)	ऐलेन्थस एक्सेल्सा
5	नीम	मेलिया अजाडिरेक्टा
6	[illegible]	एन्थोसिफेलस कदम्बा
7	[illegible]	ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेला
8	[illegible]	[illegible]

(2)

9	[illegible]	[illegible]
10	विलायती बबूल	प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा
11	बबूल	अकेसिया नायलोटिका
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	शहतूत	मोरस अल्बा
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	बाँस	बाँस की प्रजातियाँ डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस (लाठी बाँस) को छोड़कर

6. भविष्य में उपर्युक्त अनुसूची-5 में अंकित काष्ठ/वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य प्रजाति के काष्ठ/वृक्ष को नियमावली के संलग्न परिवहन अनुज्ञा-पत्र की अनिवार्यता से विमुक्त करने अथवा शामिल करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा।

7. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 16.05.2017 में मद संख्या- 25 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

8. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(ए० के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2/[illegible]-05/2007 (खण्ड-3)- ज्ञाप० राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2/[illegible]-05/2007 (खण्ड-3)- 2219 ज्ञाप० राँची, दिनांक- 26/05/17

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारीगण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची तथा सभी संचिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5
सरकार के विशेष सचिव

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संचिका संख्या–2 / रा0व्या0–05 / 2007 (खण्ड–3) 2747 व0 प0 राँची, दिनांक 04/07/17

प्रेषक,

एA0 के0 रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

श्री सिद्धान्त दास,
वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– **निजी भूमि पर उगे बाँस को पातन एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त करने हेतु राज्य में लागु संगत नियमावली में समुचित संशोधन करने के संबंध में।**

O/o the Director General of Forest & Special Secretary
E-115225
Dy. No.
14/7/17

प्रसंगः– आपका D.O. No-8–14 / 2011-FP (VOL.3) pt, दि0–18.05.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के उद्येश्य से कुल–19 (उन्नीस) काष्ठ प्रजातियों को झारखण्ड काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004 के नियम–5 एवं 8 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। जिसमें बाँस (बाँस की प्रजातियाँ डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस (लाठी बाँस) को छोड़कर) भी सम्मिलित है।

एतद् संबंधी विभागीय अधिसूचना सं0–2219 दि0–26.05.2017 की छायाप्रति संलग्न है।

अनु0–यथोक्त।

IGF (FC)

DIG(FP)

O/o IGF (FC)
Dy. No. E-115225
Date 17/7/17

Compile it
17/7

विश्वासभाजन,

(ए0के0 रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव

@N@/E:/ALL FILE's/VAN NIGAM LETTER

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

अधिसूचना

अधि० संख्या–2/रा0व्या0–05/2007 (खण्ड–3)– 2219 व0प0, राँची, दिनांक– 26/05/17

झारखण्ड राज्य के भीतर काष्ठ (टिम्बर, विनियर, प्लाईवुड, जलावन की लकड़ी, चारकोल, सवई घास, कत्था, गोंद और राल (रेसीन), फल, बीज और फल, जड़, छाल एवं अन्य वन्य उत्पाद जिसे राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करे, के सड़क, रेल एवं वायु मार्गों से अभिवहन तथा उससे अनुषंगिक अन्य विषयों का विनियमन करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–रा0व्या0–11/2000–2402/व0प0, दिनांक–21.06.2004 द्वारा झारखण्ड काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004 अधिसूचित है।

2. उक्त नियमावली के नियम–8 में रैयती भूमि पर उगे वृक्षों से प्राप्त काष्ठ हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है तथा नियम–5 के अंतर्गत राज्य की सीमा के भीतर अथवा बाहर काष्ठ या अन्य वन उत्पादन के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा–पत्र अनिवार्य है।

3. राज्य में मुख्यमंत्री जन–वन योजनान्तर्गत ग्रामीणों को उनकी निजी भूमि पर टिंबर प्रजाति तथा फलदार पौधे लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। लगाए गए पेड़ों का स्वामित्व भी रैयतों के अधीन है।

4. मुख्यमंत्री जन–वन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनुकूल वातावरण का सृजन तथा राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की नींव को मजबूती प्रदान करने के साथ अन्य राज्यों की भांति झारखण्ड राज्य में भी कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के निमित परिवहन अनुज्ञा–पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किये जाने की आवश्यकता है, ताकि रैयतों को प्रोत्साहित करने के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी होगी।

5. अतएव उपर्युक्त के आलोक में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कुल–19 (उन्नीस) काष्ठ प्रजातियों को झारखण्ड काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2004 के नियम–5 एवं 8 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत परिवहन अनुज्ञा–पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया जाता है :–

क्र0 सं0	काष्ठ/वृक्ष का नाम	प्रजाति का नाम
1	युकलिप्टस (सफेदा)	युकलिप्टस की सभी प्रजातियां
2	पोपलर	पापुलस प्रजातियां
3	कैजूरिना	कैजूरिना इक्विजिटीफोलिया
4	महानीम (घुड़करंज)	ऐलेन्थस एक्सेल्सा
5	बकैन	मेलिया अजाहिरेक्टा
6	कदम	एन्थोसेफेलस कदम्बा
7	सुबबूल	ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेला
8	सिल्वर ओक	ग्रेवेलिया रोबस्टा

9	इजरायली बबूल	एकेशिया टॉरटिलिस
10	विलायती बबूल	प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा
11	बबूल	अकेशिया टॉरटिलिस
12	पाम	पाम प्रजातियां
13	बेर	जिजीफस जुजुबा
14	शहतूत	मोरस अल्बा
15	अमरूद	साइडियम गुआवा
16	नीम्बू,संतरा, मौसम्बी	सिट्रस प्रजातियां
17	मुनगा	मोरिंगा ऑलिफरा
18	अशोक	पालिएल्थिआ लांगीफोलिया, सराका असोका
19	बाँस	बाँस की प्रजातियां डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस (लाठी बाँस) को छोड़कर

6. भविष्य में उपर्युक्त कंडिका–5 में अंकित काष्ठ/वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य प्रजाति के काष्ठ/वृक्ष को नियमावली के तहत् परिवहन अनुज्ञा–पत्र की अनिवार्यता से विमुक्त करने अथवा शामिल करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा।

7. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक--16.05.2017 के मद संख्या–25 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

8. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(ए0 के0 रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–2/रा0व्या0–05/2007 (खण्ड–3)– व0प0, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–2/रा0व्या0–05/2007 (खण्ड–3)– 2219 व0प0, राँची, दिनांक– 26/05/17

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारीगण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची तथा सभी संबधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव